रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12012024-251310
CG-DL-E-12012024-251310

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 32] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 12, 2024/पौष 22, 1945
No. 32] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 12, 2024/PAUSHA 22, 1945

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2024

सा.का.नि. 37(अ).—कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (1) में, भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि और किसान कल्याण विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का. नि. 671 (अ), तारीख 15 सितंबर, 2023 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, पन्द्रह दिन की अवधि की समाप्ति के पहले, आक्षेप या सुझाव आमंत्रित करने के लिए जनसाधारण को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को 15 सितंबर, 2023 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों या सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है:

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कीटनाशी (प्रथम संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. कीटनाशी नियम, 1971 में, नियम 19 के उपनियम (3) के स्पष्टीकरण में, खंड (1) में, "छह" शब्द के स्थान पर "नौ" शब्द रखा जाएगा।

[फा. सं. 13035/33/2019-पीपी-1]

आशीष कुमार श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (पीपी)

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 1650(अ), तारीख 19 अक्टूबर, 1971 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. संख्यांक 921(अ) तारीख 28 दिसंबर, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधन किए गए।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi dated the 11th January, 2024

G.S.R. 37(E).— Whereas the draft rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, was published, as required by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agriculture and Farmers Welfare) number G.S.R. 671(E), dated the 15th September, 2023, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section-3, sub-section (i), inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of fifteen days from the date on which the copies of the Gazette of India in which the said notification was published were made available to the public;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 15th September, 2023;

And whereas, objections or suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, namely :-

1. **Short Title and Commencement** - (1) These rules may be called the Insecticides (First Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insecticides Rules, 1971, in rule 19, in sub-rule (3), in "Explanation", in clause (i), for the word "six", the word "nine" shall be substituted.

[F. No. 13035/33/2019-PP-I]

ASHISH KUMAR SRIVASTAVA, Jt. Secy. (PP)

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1650(E), dated the 19th October, 1971 and was amended *vide* G.S.R. 921(E) dated 28th December, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA